न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03/2020

1. किशन चन्द पुत्र दरगाई राम जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

--निर्णय--

दिनांक :२७/०१/२०२०

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 60 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/51 के मु.न. 4,5,10,61/23 के कुल 9.664 में 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम किशनचन्द की जगह किशन राम लिखा गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम किशनचन्द है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त जमाबन्दी में सही करके किशन चन्द करने की कृपा करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति व जमाबन्दी सम्तव 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 के मु.न. 4,5,10,61/23 की जमाबन्दी प्रस्तुत की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार श्री करणपुर के पत्राक 7759 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार चक 60 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/51 में प्रार्थी किशन चन्द का नाम किशन राम पुत्र दरगाई राम अंकित है। जो सहवन से दर्ज है। क्योंकि इन्तकाल संख्या 265 द्वारा किशन चन्द को काशी राम पुत्र दरगाई राम से भूमि प्राप्त हुई थी। इसमें किशन चन्द पुत्र दरगाई राम के नाम से इन्तकाल स्वीकृत है अतः प्रार्थी का नाम किशन राम के स्थान पर किशन चन्द किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चक 60 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/51 में अकित नाम किशन राम पुत्र दरगाई राम के स्थान पर किशन चन्द पुत्र दरगाई राम दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार इन्तकाल संख्या 265 द्वारा किशन चन्द को काशी राम पुत्र दरगाई राम से भूमि प्राप्त हुई थी। इसमें किशन चन्द पुत्र दरगाई राम के नाम से इन्तकाल स्वीकृत है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम किशन चन्द अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम किशन राम के स्थान पर किशन चन्द किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 60 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/51 के मु.न. 4,5,10,61/23 में अंकित नाम किशन राम पुत्र दरगाई राम के स्थान पर किशन चन्द पुत्र दरगाई राम दर्ज किए जाने किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाते के शेष अंकन व बदस्तूर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) * सत्यमेव जयते

{ मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.07 15:54:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: